II

अत्यावश्यक
पंचायत उप–निर्वाचन, 2023

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक – पं.नि. 30–24/2023 – 4348

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
(शिवहर एवं शेखपुरा को छोड़कर)

दिनांकः– 21.12.23

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2023 : बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 4140 दिनांक 09.12.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र की स्थापना संबंधी निदेश दिये गये हैं। इसी क्रम में बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र पर मतगणना टेबल एवं उनपर लगाने वाले कैमरों के संबंध में आयोग निम्नांकित निदेश दिये गये है :–

1. मतगणना केन्द्र (Counting Center) और बज्रगृह पद अनुसार अलग–अलग कमरा में बनाया गया है या नहीं (यदि एक बड़ा हॉल है तो उसे पृथक किया गया है या नही), कृपया सुनिश्चित कर लें।
2. टेबुल की संख्या Round के आधार पर निर्धारित की जानी है। एक पद हेतु अधिकतम 11 चक्र (Round) के लिए टेबल की संख्या निर्धारित की जानी है।

जैसे :– a. 22 ईवीएम/बुथ होने पर 2 टेबल 11 Round

b. 10 ईवीएम/बुथ होने पर 1 टेबल 10 Round (यदि किसी पद के लिए ईवीएम/बुथ की संख्या 11 या 11 से कम हो तो एक ही चक्र (Round) में 11 टेबल लगाकर Counting समाप्त नहीं करना है। इसके लिए 1 टेबल के आधार पर 11 चक्र चलेगा, या जितनी संख्या है ईवीएम/बुथ की उतना चक्र चलेगा।)

3. कैमरे की संख्या का निर्धारण (मानक)

   1. प्रत्येक टेबल (table) हेतु 1 कैमरा
   2. प्रत्येक हॉल (Hall) के लिए 2 कैमरा
   3. प्रत्येक स्ट्रॉग रूम (Strong Room) के लिए 1 कैमरा

4. प्रत्येक परिसर (Premises) के लिए 1 कैमरा
5. प्रत्येक प्रतिक्षालय (waiting Room) कक्ष के लिए 1 कैमरा

4. बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र के प्रस्ताव पर अनुमोदित स्थल पर निर्धारित कैमरों की संख्या के अनुसार सभी जगह कैमरा लगाया जाना है, यदि आयोग द्वारा आवंटित कैमरों की संख्या आवश्यक कैमरों की संख्या से कम होती है तो ऐसी परिस्थिति में कंडिका 3 के प्राथमिकता अनुसार आयोग से प्राप्त कैमरों को अधिष्ठापित कर दिया जाए, शेष जगह पर जिला द्वारा स्वयं के व्यय पर कैमरों को अधिष्ठापित किया जाए।

अनुरोध है कि तदनुसार कारवाई की जाए एवं उपरोक्त निदेश से सभी संबंधित को अवगत करा दी जाए एवं कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन आयोग को दिनांक 22.12.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन

21/12/23

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– पं.नि. 30–24/2023 – 4348 पटना, दिनांक– 21.12.23

प्रतिलिपिः आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

21/12/23

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– पं.नि. 30–24/2023 – 4348 पटना, दिनांक– 21.12.23

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/23

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– पं.नि. 30–24/2023 – 4348 पटना, दिनांक– 21.12.23

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/23

विशेष कार्य पदाधिकारी